राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की कृति ''भारत में उद्यमिता'' का विमोचन बुधवार 5 फरवरी को

उपराष्ट्रपति करेंगे राज्यपाल की पुस्तक का विमोचन

जयपुर, 04 फरवरी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की कृति '' भारत में उद्यमिता '' का विमोचन बुधवार को उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकया नायडू करेंगे। विमोचन समारोह बुधवार को उपराष्ट्रपति भवन में प्रातः 9.30 बजे होगा।

केन्द्र सरकार में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री रहे श्री कलराज मिश्र ने देश में एम.एस. एम. ई. सेक्टर को नई दिशा दी। श्री मिश्र ने इस सेक्टर के विकास हेतु सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक पहुंचाया। श्री कलराज मिश्र ने देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए उद्यमिता के क्षेत्र में एम.एस.एम.ई. सेक्टर को आम आदमी तक पहुंचाने की दृष्टि से इस पुस्तक का लेखन किया है। यह पुस्तक उन युवाओं के लिए मार्गदर्शक साबित होगी, जो अपनी उद्यम आरम्भ करना चाहते हैं।

राज्यपाल श्री मिश्र राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे

जयपुर, 04 फरवरी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र बुधवार 5 फरवरी को प्रातः 11 बजे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द से मुलाकात करेंगे।

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने अपना घर का दौरा किया

राज्यपाल राहत कोष से दो लाख रूपये की सहायता राशि की घोषणा की

जयपुर, 04 फरवरी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने उत्तर प्रदेश के शामली में स्थित अपना घर आश्रम का दौरा किया। राज्यपाल श्री मिश्र ने वहां निवास कर रहे लोगों से बात की। उन्होंने आश्रम के लोगों की मदद हेतु राज्यपाल राहत कोष से दो लाख रूपये की सहायता राशि दिये जाने की घोषणा की। इस आश्रम का मुख्यालय भरतपुर में है।

राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि '' मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं। यह देश हित का कार्य है। इन आश्रमों में असहाय लोग व ऐसे लोग जिन्हें सबने नकार दिया है, जिनका न कोई घर है और न ही कोई ठिकाना, ऐसे व्यक्तियों के लिये अपना घर आश्रम ही उनका अपना घर है।''

राज्यपाल ने कहा कि '' गत 26 नवम्बर को पूरे देश में 70 वां संविधान दिवस मनाया गया। आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है। हमारा मूल ग्रन्थ है। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिये हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 क में हमारे द्वारा किये जाने वाले कर्त्तव्यों को परिभाशित किया गया है। मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य, यह दोनों ही संविधान के प्रमुख स्तम्भ हैं। मौलिक अधिकारों की तो हम बात करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम हमारे कर्त्तव्यों को जानें, समझें और उनके अनुरूप ही अपना कार्य और व्यवहार करें। आप लोग राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए संविधान में प्रदत्त कर्त्तव्यों को आप लोग आचरण में लाकर आगे बढ़ें। यदि हम सभी ने ऐसा प्रयास किया तो निश्चित तौर पर भारत देश को आगे बढ़ाने में और स्वयं के जीवन को भी प्रोनन्त करने में यह कदम बेहतरीन साबित होगा। ''

———

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
सहायक निदेशक(जनसम्पर्क)
राज्यपाल, राजस्थान